[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 1/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 8 अप्रैल, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) और धारा 148 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 747(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र.सं. (1)	**पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**ब्याज की दर** (3)	**कर अवधि** (4)	**शर्त** (5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में	शून्य	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 30

	कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो			जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा ।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 747 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।